PAGE 1 OF 3	अभियोजन साक्षी संख्याः 05

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं०-06 जनपद – कानपुर देहात।		
सत्र वाद संख्या- 1963/2024		
राज्य	**बनाम**	शिवदत्त उर्फ छोटू आदि

नाम साक्षीः **डा० गोविन्द प्रसाद पुत्र स्व० श्री फेकूराम**	**अपराध संख्या-381/2024**
उम्रः लगभग 45 वर्ष, **पेशाः चिकित्सक**	**धारा-** **80(2), 85, 3(5), 92** **भारतीय न्याय संहिता** **एवं** **धारा-3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम**
वर्तमान तैनाती पता साक्षीः **सी०एच०सी० पुखरायाँ,** **जनपद-कानपुर देहात**	**थाना-रसूलाबाद, कानपुर देहात**

<u>दिनांकः-23.01.2026</u>

मैं **साक्षीः डा० गोविन्द प्रसाद पुत्र स्व० श्री फेकूराम, उम्रः लगभग 45 वर्ष, पेशाः चिकित्सक, वर्तमान तैनाती पता साक्षीः सी०एच०सी० पुखरायाँ, जनपद-कानपुर देहात** शपथपूर्वक यह बयान करता हूँ कि.....

1. दिनांक 10.09.2024 को मेरी ड्यूटी पोस्टमार्टम हाउस कानपुर देहात में थी। उसी दिन मृतका अनुराधा पत्नी शिवदत्त उर्फ छोटू, पुत्री रामगोपाल राजपूत निवासिनी-ग्राम उसरी भगवंतपुर, थाना-रसूलाबाद, कानपुर देहात, उम्र करीब 23 वर्ष के शव को आरक्षी 271 विनोद कुमार व महिला होमगार्ड 1124 ऊर्मिला देवी, थाना-अकबरपुर, कानपुर देहात पोस्टमार्टम हेतु पोस्टमार्टम हाउस में मेरे पास समय 01:40 PM पर लेकर आये थे।

2. मृतका के शव की पोस्टमार्टम की कार्यवाही पैनल द्वारा की गयी थी। पैनल में मेरे साथ डा० सिद्धार्थ गोपाल शर्मा भी शामिल थे। पैनल द्वारा मृतका अनुराधा के शव की पोस्टमार्टम की कार्यवाही दिनांक 10.09.2024 को समय 01.50 PM पर प्रारम्भ की गयी थी। मृतक की लम्बाई 155 से०मी० थी। मृतका का कद-काठी सामान्य था। मृतका के शरीर पर एक साड़ी, ब्लाउज, चड्डी, नाक की बाली पीली धातु, तोड़िया सफेद धातु व बिछिया मौजूद थीं। शरीर के ऊपरी हिस्से से अकड़न

पास हो चुकी थी व निचले हिस्से में मौजूद थी। पी०एम० स्टेनिंग शरीर के पिछले हिस्से नितंबों व जाँघों पर मौजूद थी। मुँह खुला था व जीभ बाहर निकली हुई थी।

3. **<u>मृत्यु पूर्व चोटेंः-</u>**

(1) LIGATURE MARK WHOLE NECK CIRCUMFERENCE 28 CM WITH GAP OF 8 CM OF RIGHT SIDE BACK OF NECK.

लिगेचर मार्क की चौड़ाई दो से०मी० की थी।

लिगेचर मार्क की दूरी ठुड्डी से छह से०मी०, दायें कान से चार से०मी० व बायें कान से पाँच से०मी० की थी।

लिगेचर मार्क को विच्छेद करने पर WHITE GLISTENING FACIA PRESENT थी।

4. **<u>आन्तरिक परीक्षणः-</u>**

मस्तिष्क एवं मस्तिष्क की झिल्लियाँ कंजेस्टेड थीं। दांत 16/16 मौजूद थे। लैरिंग्स व वोकल काड्र्स कंजेस्टेड थे। थायराइड व हायड बोन इन्टैक्ट थी। ट्रैकिया कंजेस्टेड था। दोनों फेफड़े कंजेस्टेड थे। ह्रदय का दायां चैम्बर भरा था व बायाँ खाली था। पेट के अंदर लगभग सत्तर ग्राम तरल पदार्थ था। छोटी आंत आंशिक गैस से भरी हुई थी। बड़ी आंत में मल व गैस मौजूद था। यकृत, तिल्ली, अग्नयाशय, दोनों किड़नी कंजेस्टेड थीं। पित्ताशय आधा भरा हुआ था। मूत्राशय खाली था।

मृतका के गर्भाशय का आकार 22 X 20 CM था। गर्भाशय में चार से०मी० का भ्रूण मौजूद था जो लगभग दो माह का था। भ्रूण का लिंग निर्धारण नहीं हो पाया था।

5. **<u>अभिमतः-</u>**

मृतका की मृत्यु पोस्टमार्टम किये जाने से लगभग एक दिन के आसपास की थी। मृतका की मृत्यु का कारण दम घुटना (ASPHYXIA) था जो कि ANTE-MORTEM HANGING के कारण हुई थी। जो मृतका की मृत्यु के लिए पर्याप्त थी।

6. मृतका के शव की पोस्टमार्टम की कार्यवाही दिनांक 10.09.2024 को 01:50 PM पर शुरु की थी और उसी दिन 02:20 PM पर समाप्त की गयी थी।पोस्टमार्टम रिपोर्ट पैनल में शामिल हमदोनों चिकित्सकों की संयुक्त सहमति से तैयार की गयी थी। जिस पर मेरे हस्ताक्षर हैं व सहमति के रुप में डा० सिद्धार्थ गोपाल शर्मा के भी हस्ताक्षर हैं। जिसकी मैं पुष्टि करता हूँ। जिस पर **<u>प्रदर्श P-7</u>** अंकित किया गया।

7. पोस्टमार्टम की कार्यवाही के पश्चात मृतका अनुराधा का शव, इन्क्वेस्ट पेपर व कपड़े, मूल पोस्टमार्टम रिपोर्ट आरक्षी विनोद कुमार व महिला होमगार्ड ऊर्मिला देवी को सुपुर्द कर मूल पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर उनके हस्ताक्षर बनवाये थे। विवेचक ने मेरा बयान लिया था।

प्रतिपरीक्षा द्वारा अभियुक्तगण

8. मृतका की मृत्यु पोस्टमार्टम किये जाने से लगभग एक दिन के आसपास की है। मृत्यु का निश्चित समय नहीं बताया जा सकता है। मृतका की मृत्यु पोस्टमार्टम किये जाने से लगभग चौबीस से छत्तीस घंटे के आसपास होना संभावित है। मृतका के शरीर में फांसी की चोट के अतिरिक्त और कोई इंजरी नहीं थी।

9. लिगेचर मार्क से यह निश्चित है कि मृतका की मृत्यु फांसी से हुई है। मृतका के गर्भाशय में दो माह का भ्रूण मौजूद था। मेरे द्वारा मृतका के गर्भाशय में पाये गये भ्रूण का कोई नमूना नहीं लिया गया और न ही जाँच के लिए भेजा गया।

10. यह नहीं बताया जा सकता है कि मृतका ने मृत्यु से कितने समय पूर्व भोजन किया था।

11. यह कहना गलत है कि मेरे द्वारा मृतका के शव की पोस्टमार्टम कार्यवाही नियमानुसार न की गयी हो।

मेरे बोलने पर आज यह बयान
लिपिक द्वारा टंकित किया गया। सुनकर तस्दीक किया।

HANS